प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्रांकः– /जिलाजज अम्बेडकरनगर/दिनांक– फरवरी,2021

विषयः–श्री महेंद्र सिंह-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर के जी.पी.एफ.खाता सं. एल.जे.यू.-22803 से आहरित धनराशि एवं अवशेष धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री महेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत जी.पी.एफ. स्थाई अग्रिम प्रार्थना पत्र मु. 10,00000/- के सम्बन्ध में मेरे द्वारा वेतन लिपिक की आख्या आहूत की गई। वेतन लिपिक की आख्यानुसार श्री महेंद्र सिंह की नियुक्ति न्यायिक सेवा में दिनांक 27-09-1999 को हुई है। श्री सिंह द्वारा अपनी सेवा का 20 वर्ष दिनांक 26-09-2019 को पूरा कर लिया गया है। उनकी सामान्य भविष्य निधि पासबुक के अवलोकन से विदित होता है कि उनके द्वारा पूरी सेवा में दिनांक 09-11-2004 को मु.30,000/-,दिनांक 03-11-2007 को मु.79,000/-,दिनांक 07-03-2014 को मु. 1,50,000/- तथा दिनांक 02-11-2015 को मु.1,60,000/- का अस्थाई अग्रिम लिया गया था, जिसकी नियमानुसार कटौती पूर्ण की जा चुकी है। इसके पश्चात वित्तीय वर्ष-2019-20 में श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पुत्र की उच्च शिक्षा हेतु मु. 10,00000/- का स्थाई अग्रिम दिनांक 30-09-2019 को लिया गया था, जिसकी प्रविष्टि आहरण कॉलम में की जा चुकी है। भविष्य निधि पासबुक के अनुसार श्री महेंद्र सिंह के खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20 का इतिशेष मु. 20,42,783/-है तथा माह मार्च-2020 से जनवरी-2021 तक मु. 10,000/- रूपये प्रति माह की दर कुल मु. 1,10,0000/- का अभिदान किया गया है। इस प्रकार माह जनवरी-2021 के अन्त तक उनके खाता संख्या एल.जे.यू.-22803 में कुल 21,52,783/- जमा है।

सामान्य भविष्य निधि नियमावली,1985 के नियम-16 (क)(अ)(एक) के अनुसार अभिदाता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य सम्बन्धी को हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक,वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा हेतु अंतिम प्रत्याहरण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था दी गई है। नियम 17-(1)(क) के अनुसार अभिदाता के खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में साधारणतया 6 माह का वेतन या जमा धनराशि का आधा, जो भी कम हो स्वीकृत किया जायेगा। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए जमा धनराशि का तीन चौथाई भी प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकते हैं। श्री महेंद्र सिंह का 6 माह का वेतन मु.9,77,172/- होता है। उनके द्वारा अपने जी.पी.एफ. खाता से अंतिम प्रत्याहरण के रूप में पुत्र की उच्च शिक्षा हेतु मु. 10,00,000/- स्वीकृत करने की याचना की गई है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचित धनराशि अंतिम प्रत्याहरण के रूप में स्वीकृत की जाती है तो उनके जी.पी.एफ. खाते में मु. 11,5,783/-शेष रहेगा ।

अतः अनुरोध है कि आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

दिनांकः 2 फरवरी-2021

भवदीय,

जनपद न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

महोदय,

श्री महेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत जी.पी.एफ. स्थाई अग्रिम प्रार्थना पत्र मु. 10,00000/- के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि अभिलेखानुसार श्री महेंद्र सिंह की नियुक्ति न्यायिक सेवा में दिनांक 27-09-1999 को हुई है। उनकी भविष्य निधि पासबुक के अनुसार उनके द्वारा पूरी सेवा में दिनांक 09-11-2004 को मु.30,000/-, दिनांक 03-11-2007 को मु.79,000/-, दिनांक 07-03-2014 को मु. 1,50,000/- तथा दिनांक 02-11-2015 को मु.1,60,000/- का अस्थाई अग्रिम लिया गया जिसकी नियमानुसार कटौती पूर्ण की जा चुकी है। इसके पश्चात दिनांक 30-09-2019 को स्थाई अग्रिम के रूप में मु. 10,00000/- लिया गया था, जिसकी प्रविष्टि उनके भविष्य निधि पासबुक में की जा चुकी है। पास बुक के अनुसार श्री महेंद्र सिंह के खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20 का इतिशेष मु. 20,42,783/-है तथा माह मार्च-2020 से जनवरी-2021 तक मु. 10,000/- रूपये प्रति माह की दर कुल मु. 1,10,000/- का अभिदान किया गया है। इस प्रकार माह जनवरी-2021 तक कुल 21,52,783/- रूपये जमा है। सामान्य भविष्य निधि नियमावली,1985 के नियम-16 (क)(अ)(एक) के अनुसार अभिदाता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य सम्बन्धी को हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक,वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा हेतु अंतिम प्रत्याहरण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था दी गई है। नियम 17-(1)(क) के अनुसार साधारणतया 6 माह का वेतन या जमा धनराशि का आधा, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जायेगा। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुए जमा धनराशि का तीन चौथाई भी प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकते हैं। श्री महेंद्र सिंह का 6 माह का वेतन मु. 9,77,172/- होता है। उनके द्वारा अपने जी.पी.एफ. खाता से अंतिम प्रत्याहरण के रूप में पुत्र की शिक्षा हेतु मु. 10,00000/- स्वीकृत करने की याचना की गई है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचित धनराशि अंतिम प्रत्याहरण के रूप में स्वीकृत की जाती है तो उनके जी.पी.एफ. खाते में मु. 11,52,783/-शेष रहेगा ।

अत: आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

02/02/21

लेखा लिपिक

UTILISATION CERTIFICATE

Certified that I have fully utilized the G.P.F. Part Final Withdrawal from my GPF A/c. No. LJU 22803 and an amount of Rs. 10,00000/= (Rupees Ten Lac Rupees only) sanctioned vide Memo.No. Letter No.14527/IV-2855/Admin(A) Dt. 30-09-2019 for the purpose Highter Education of Son.

([signature] 2-2-2021.)